भायंदर सन

BHAYANDER SUN

PRGI No. : MHHIN/26/A2219 website : bhayandersun.co.in Email : bhayandersun@gmail.com

वर्ष : 1 * अंक : 7 * दि. 1 से 15 सितंबर 2026 * संपादक : संजय डी. राय * ठाणे * पृष्ठ : 4 * मूल्य : 5 रुपये

मीरा-भायंदर शहर में विकास या विनाश !

मीरा-भायंदर । मीरा-भायंदर शहर में एक तरफ जहां आम नागरिक पीने के पानी की भारी किल्लत, टूटी सड़कों और सीवरेज जैसी समस्याओं से दिन-रात जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मीरा-भायंदर महानगरपालिका का नगर रचना विभाग आंखें मूंदकर सैकड़ों नए बड़े प्रोजेक्ट्स को धड़ाधड़ मंजूरी देने में लगा है। तो सीधा सवाल उठता है कि इन नए प्रोजेक्ट्स में आने वाले हजारों परिवारों के लिए पानी और अन्य सुविधाएं कहां से आएंगी? सहायक संचालक (नगर रचना विभाग) कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों पर एक नजर डालें तो पिछले करीब २० वर्षों में २०,००० वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले ७१ रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को अनुमति दी गई है। इनमें

से कुछ विशालकाय प्रोजेक्ट्स २ से ५ लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं।

ज्ञात हो कि २०,००० वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले किसी भी प्रोजेक्ट को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी (एनवायरमेंट क्लीयरेंस) मिलना अनिवार्य है। शहर में मल निकासी, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और पक्की सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं की उचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नई इमारतों के निर्माण को धड़ाधड़ मंजूरियां (परमिशन) दी जा रही हैं। इस अनियोजित विकास, अंधाधुंध कंक्रीटीकरण के कारण आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में सड़कों और सीवरेज लाइनों की क्षमता कम होने के बावजूद बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं।

मीरा-भायंदर में १४ लाख आबादी के लिए रोजाना २४० एमएलडी पानी की जरूरत है, लेकिन सप्लाई महज १९५ एमएलडी है। यानी ४५ एमएलडी का भारी अंतर। इसके बावजूद मनपा नए प्रोजेक्ट्स को कंप्लेसमेंट सर्टिफिकेट बांट रही है। सवाल है कि जब मौजूदा आबादी प्यासी है, तो हजारों नए परिवारों को पानी कहां से मिलेगा?

मीरा-भायंदर शहर में बुनियादी सुविधाओं के बिना धड़ाधड़ दी जा रही बिल्डिंग परमिशन के पीछे एक बहुत बड़े आर्थिक घोटाले की संभावना जताई जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों द्वारा लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ताधारी दल के नेता प्रति स्क्वायर फुट निर्माण की अनुमति देने के बदले तय रेट कार्ड के अनुसार मोटी रिश्वत वसूल रहे हैं। इस रिश्वत की वसूली बिल्डर अंततः आम खरीदार से ही फ्लैट की कीमत बढ़ाकर करते हैं।

मराठी के बीच अचानक गुजराती में हुआ मंच संचालन

MBVV पुलिस के कार्यक्रम में MNS ने जताई आपत्ति

मीरा- भाईंदर ,वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के एक कार्यक्रम में मराठी में चल रहा मंच संचालन अचानक गुजराती भाषा में किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कार्यक्रम में मौजूद

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के पदाधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में आयोजित सरकारी कार्यक्रमों में मराठी भाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ।

सोमवार को पुलिस आयुक्तल के जोन-1 के अंतर्गत लता मंगेशकर सभागार में 'ऑपरेशन निर्मूलन' पहल का अंतिम चरण आयोजित किया गया था। मादक पदार्थों के दुरुपयोग और साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, रंगोली और नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त संदीप डोइफोडे और राहुल चव्हाण सहित पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

कार्यक्रम में महापौर डिंपल मेहता भी उपस्थित थीं। इसी दौरान मराठी में हो रहा मंच संचालन अचानक गुजराती में शुरू हो गया। महापौर को भी गुजराती में मंच पर आने का अनुरोध किया गया। इसके बाद मनसे पदाधिकारियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम का संचालन अचानक गुजराती भाषा में नहीं किया जाना चाहिए।शेष पृष्ठ 3 पर...

मीरा-भाईंदर में कचरा घोटाला ? ठेकेदार पर मेहरबान मनपा

बिना GPS और VTMS के बांटे जा रहे करोड़ों रुपए

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के दैनिक सफाई और कचरा परिवहन के ठेके को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सफाई ठेकेदार ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड को किए जा रहे भुगतानों के बीच अनुबंध में अनिवार्य बताई गई वीटीएमएस, जीपीएस, एमआईएस और बायोमेट्रिक, फेस रीडिंग जैसी सत्यापन प्रणालियों के प्रभावी रूप से चालू नहीं होने का मामला सामने आया है। मनपा के सदन नेता एड. रवि व्यास ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच तथा विशेष वित्तीय एवं तकनीकी ऑडिट की मांग की है।

एड. रवि व्यास ने मनपा प्रशासन के ही पत्राचार का हवाला देते हुए कहा है कि ठेकेदार के काम के तकनीकी सत्यापन के लिए आवश्यक कुछ प्रणालियां प्रभावी रूप से चालू नहीं थीं। ऐसे में वाहनों की वास्तविक तैनाती, उनके रूट और संचालन, सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति तथा किए गए कार्य की मात्रा का निष्पक्ष सत्यापन किस आधार पर किया गया। यह स्पष्ट किया जाना जरूरी

है।

रवि व्यास ने सवाल उठाया कि यदि वीटीएमएस, जीपीएस, एमआईएस और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, तो संबंधित अवधि के बिलों को प्रमाणित करने, भुगतान की सिफारिश करने, मंजूरी देने तथा उनका ऑडिट करने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित ठेकेदारों और मनपा प्रशासन का पक्ष सामने नहीं आया है।

मीरा-भाईंदर शहर की दैनिक सफाई और कचरा परिवहन का ठेका दो जोन में बांटकर दो कंपनिय को पांच वर्षों के लिए दिया गया है।

जोन-1 में प्रभाग समिति क्रमांक 1, 2 और 3 शामिल हैं, जिसका ठेका मे। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट का जुलाई 2023 में दिया गया। वहीं जोन-2 में प्रभाग समिति क्रमांक 4, 5 और 6 का ठेका मे। कोणाव इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मार्च 2023 में दिया गया।

व्यास के अनुसार, वर्ष 2012 में प्रतिदिन करीब 450 टन कचरे की सफाई और परिवहन के लिए वार्षिक निविदा शेष पृष्ठ 3 पर...

मीरा भाईंदर महानगरपालिका का बड़ा फैसला, हाउसिंग सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी पर लगाई रोक, क्यों उठाया गया ये कदम

MBMC ने बकरो की कुर्बानी को लेकर बड़ा कदम उठाया है

MBMC ने लोगों को बकरे रखने और हाउसिंग सोसाइटियों, घरों, दुकानों और सड़कों पर उनकी बलि देने पर रोक लगा दी है। दरअसल सत्तारूढ़ BJP ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर यह फैसला लिया। प्रस्ताव में सड़कों पर आवारा पशुओं को खाना खिलाने पर भी रोक लगाई गई है। नगर निगम ने धार्मिक आयोजनों के दौरान लोगों के बीच बार-बार होने वाले विवादों का भी

हवाला दिया है। यह इलाका मुंबई के बाहरी क्षेत्र में आता है।

दरअसल करीब चार महीने पहले मीरा रोड की एक हाउसिंग सोसाइटी में उस समय सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था, जब कुर्बानी के लिए 40 से 50 बकरे लाए गए थे। घटना के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके चलते नगर निगम अधिकारियों ने बकरों के लिए बनाए गए अस्थायी ढांचों को हटा दिया था। इस प्रस्ताव में सभी मांस विक्रेताओं के लिए नगर निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य किए जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि बिना एनओसी के या खुले स्थानों पर मांस बेचने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि विक्रेताओं को सड़क से दिखाई देने वाले स्थान पर मांस या पशुओं के अंग प्रदर्शित करने पर भी रोक होगी। उन्हें धुंधले या टिंटेड शीशे लगाना अनिवार्य होगा।

इसमें कहा गया है कि पहली बार नियम तोड़ने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है और आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। इसके तहत सड़कों, सार्वजनिक चौराहों, स्कूलों, अस्पतालों और खेल के मैदानों में आवारा पशुओं को खाना खिलाने पर भी रोक लगाई गई है।

संपादकीय

डिजिटल जाल में बचपन

भारत में लंबे समय से अभिभावक, शोध निष्कर्ष और मीडिया बता रहा था कि बच्चों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का घातक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हमारे नीति-नियंता इस तरह के मामलों में तब ध्यान देते हैं जब इस बाबत निष्कर्ष पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका से आएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम से बच्चों को हुए नुकसान को लेकर पिछले दिनों अमेरिका की अदालतों में वाद दायर किए गए। इस बाबत किए गए दावों के बाद मेटा को 18 अरब डॉलर तक भुगतान करने का फैसला अदालतों ने दिया। इस जुर्माने से इस बात को भी मान्यता मिली है कि नुकसान सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल के तरीके से ही नहीं होता, बल्कि उसके डिजाइन से भी हो सकता है। आरोप लगे थे कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चों को इसकी लत लग जाती है। दरअसल, यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है कि किस तरह बच्चों को उपभोक्ता में तब्दील किया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि माता-पिता स्क्रीन टाइम को तो सीमित कर सकते हैं, लेकिन वे उन एल्गोरिदम को नहीं देख सकते हैं, जो यह तय करते हैं कि उन घंटों के दौरान बच्चा क्या देखता है। दरअसल, इन प्लेटफॉर्म द्वारा बड़ी ही चालकी से इनफिनेट स्क्रॉलिंग, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, नोटिफिकेशन, लाइक्स और दूसरे एंगेजमेंट टूल इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे बच्चों का बार-बार ध्यान खींचें और उन्हें छोटी स्क्रीन पर वापस लाएं।

दरअसल, अभिभावकों ने अमेरिकी अदालत में कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि बच्चे अधिक समय तक ऑनलाइन रहते हैं, बल्कि यह है कि प्लेटफॉर्म को बच्चों को लत लगाने के लिये डिजाइन किया गया है। मेटा ने कुछ सुरक्षा उपायों को लेकर प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें रोजाना की सीमाएं, रात के समय की पाबंदियां तथा लगातार बढ़ावा देने वाले फीचर्स में बदलाव शामिल है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी का विज्ञापन आधारित बिजनेस मॉडल काफी हद तक वैसा ही बना रहेगा। इससे अभिभावकों की चिंता बढ़ी है कि जब तक कंपनी का व्यावसायिक मॉडल नहीं बदलेगा, सकारात्मक नतीजों की उम्मीद बेमानी होगी। अमेरिका में अभिभावकों की जीत के बाद भारत को सबक लेते हुए जल्दबाजी में इस पर पूरी तरह बैन लगाने से बचना चाहिए। सारी जिम्मेदारी अभिभावकों की भी न हो। इसके लिये जो डिजिटल नियम बनें, उनमें प्लेटफॉर्म्स को प्रोडक्ट डिजाइन से होने वाले संभावित नुकसान हेतु जवाबदेह बनाना चाहिए। साथ ही बच्चों को लक्षित करने वाले व्यवहार संबंधी विज्ञापनों पर सख्त रोक लगानी चाहिए। बच्चों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले रिकमेंडेशन सिस्टम का स्वतंत्र ऑडिट हो। वहीं उम्र की पुष्टि करने वाले सिस्टम को बच्चों की निजी जानकारी का ऐसा डेटाबेस नहीं बनाना चाहिए, जो उनकी निजता में हस्तक्षेप कर सके। फोन में सेप्टी सेटिंग्स हमेशा विद्यमान रहनी चाहिए, ताकि मां-बाप को माथापच्ची करके उसे ढूंढ कर चालू न करना पड़े। निस्संदेह, जिन प्लेटफॉर्म्स के पास बच्चों को लत लगाने की तकनीक है, उनके पास ही नुकसान को कम करने की तकनीक भी है। अतः जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की हो।

प्रगतिशील सोच और जागरूकता से ही समाधान

वास्तविक आधुनिकता तभी संभव है, जब समाज महिलाओं को वस्तु या लेन-देन का माध्यम नहीं, बल्कि समान अधिकारों वाली स्वतंत्र नागरिक और नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में स्वीकार करे। सवाल यही है कि भौतिकवाद की चकाचौंध के बीच ये घृणित रूढ़ियां आखिर कब टूटेंगी? भारत को प्रगतिशील, आधुनिक और विश्व के अग्रणी देशों में गिनते हुए हम नहीं थकते। देश की प्राचीन सांस्कृतिक गरिमा हमें गर्व का अनुभव कराती है, लेकिन मध्यकाल से लेकर आज तक चली आ रही अनेक जर्जर रूढ़ियां और परंपराएं हमें शर्मिंदा भी करती हैं। दास प्रथा भले ही समाप्त हो चुकी हो, पर छुआछूत, दहेज, बाल विवाह, शादी-ब्याह में फिजूलखर्ची और सामाजिक आडंबर जैसी कुरीतियां किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद हैं।

शादियों में बढ़-चढ़कर खर्च करना और दिखावे के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदर्शित करना एक प्रकार का कारोबार बन चुका है। डेस्टिनेशन वेडिंग पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग भी चाहता है कि ऐसी शादियां भारत के सुंदर स्थलों पर हों, ताकि देश का धन देश में रहे, किंतु धनी वर्ग विदेशी स्थलों की ओर आकर्षित होता है। इससे अनावश्यक विदेशी खर्च बढ़ता है। जनजागरण के तमाम प्रयासों के बावजूद पुरानी रूढ़ियां नए रूपों में बार-बार सामने आ जाती हैं।

वर्षों से सामाजिक और कानूनी अभियानों के बावजूद देश में बाल विवाह के मामले सामने आ रहे हैं। यह माना जाता है कि आज लड़कियों को शिक्षा, प्रतियोगिताओं और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं तथा वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। फिर भी कुछ राज्यों में बाल विवाह जारी हैं। कहीं न कहीं सामाजिक दबाव इसके लिए जिम्मेदार है।

महिला बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, 27 अगस्त 2026 तक देश में बाल विवाह से जुड़े 3,863 मामले सामने आए। प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से 3,405 बाल विवाह रोके गए, जबकि पुलिस शिकायतों, बाल कल्याण समितियों की रिपोर्टों और विवाह निरस्तीकरण से जुड़े मामलों को मिलाकर 458 मामले दर्ज हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या समाप्त नहीं हुई है और सामाजिक जागरूकता के दावे पूरी तरह वास्तविकता से मेल नहीं खाते।

बाल विवाह रोकने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा, जहां 703 विवाह रोके गए। इसके बाद झारखंड में 534, हरियाणा में 531, त्रिपुरा में 353 और आंध्र प्रदेश में 326 बाल विवाह रोके गए। दूसरी ओर, बाल विवाह संबंधी आपराधिक मामलों में महाराष्ट्र में 154, राजस्थान में 152, पश्चिम बंगाल में 96 और छत्तीसगढ़ में 84 मामले दर्ज किए गए। मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में देशभर की कुल शिकायतों का बड़ा हिस्सा केंद्रित रहा। कुछ राज्यों में त्वरित पुलिस कार्रवाई से रोकथाम में उल्लेखनीय सफलता मिली, जिनमें हरियाणा और तमिलनाडु शामिल हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम तथा दादरा एवं नगर हवेली से बाल विवाह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इससे स्पष्ट है कि पूरा देश एक जैसी सामाजिक परिस्थितियों में नहीं जी रहा। फिर भी जिन बड़े राज्यों में आर्थिक और भौतिक विकास के दावे अधिक हैं, वहां भी बाल विवाह जैसी कुरीतियों का बने रहना हमारी प्रगति की असमान और विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत करता है।

बाल विवाह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक दबाव, लैंगिक भेदभाव और कई अन्य विकृत मानसिकताओं से जुड़ी समस्या है। जिस देश में तेज आर्थिक विकास, मोबाइल और डिजिटल पहुंच तथा शिक्षा के विस्तार के दावे किए जाते हैं, वहां दहेज प्रथा का निर्बाध बने रहना भी गंभीर विरोधाभास है। दहेज को अक्सर 'उपहार' का नाम देकर सामाजिक स्वीकृति देने की कोशिश की जाती है, लेकिन विवाह और तलाक से जुड़े विवादों से स्पष्ट होता है कि आज भी लड़कियों के परिवारों पर कार, मकान और अन्य महंगी वस्तुएं देने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दबाव डाला जाता है। विडंबना यह है कि विवाह संबंध तय करते समय लड़की के परिवार की आर्थिक क्षमता का आकलन इस दृष्टि से किया जाता है कि उपहारों के नाम पर कितना लाभ प्राप्त हो सकता है। धनाढ्य वर्ग में भी बेमेल विवाह और आर्थिक हैसियत के आधार पर रिश्तों का निर्धारण दिखाई देता है। अतः यह मान लेना आत्मप्रवंचना होगी कि भारत ने पुरानी सामाजिक कुरीतियों से पूरी तरह मुक्ति पा ली है। आधुनिकता केवल तकनीक, धन, उपभोग और ऊंची इमारतों से नहीं आती। वास्तविक आधुनिकता तभी संभव है, जब समाज महिलाओं को वस्तु या लेन-देन का माध्यम नहीं, बल्कि समान अधिकारों वाली स्वतंत्र नागरिक और नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में स्वीकार करे। सवाल यही है कि भौतिकवाद की चकाचौंध के बीच ये घृणित रूढ़ियां आखिर कब टूटेंगी और भारतीय समाज अपने व्यवहार में सच्ची प्रगतिशीलता कब अपनाएगा?

भयावह हिमालयी त्रासदी

बीते बुधवार को नेपाल में आई भयावह जल-प्रलय जैसी घटना में हुई जन-धन की हानि ने प्रकृति के विकराल रूप के सामने हमारी लाचारी को ही दर्शाया है। वहीं भीषण बाढ़ से हुई तबाही ने हिमालयी इलाके में बढ़ते जलवायु जोखिमों और आपदा से निपटने की हमारी तैयारियों में गंभीर चूकों को भी उजागर किया है। इस प्राकृतिक रौद्र में नेपाली लोगों और विदेशियों समेत मरने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही नेपाल के कई जिलों में पुलों, सड़कों व सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। निस्संदेह, यह विकराल प्राकृतिक आपदा हिमालयी क्षेत्रों में स्थित दक्षिण एशियाई देशों और उनके बाहरी इलाकों के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। शुरुआती आकलन बताते हैं कि ग्लेशियर टूटने और चट्टानों के खिसकने से भोटेकोशी नदी की सहायक नदी ल्हेन्डे का बहाव रुक गया था, बाद में बढ़ते पानी व मलबे के दबाव से कृत्रिम बांध टूटने से नदी में बाढ़ आ गई। जिसके फलस्वरूप पहाड़ी ढलानों में तेज गति से पानी व मलबा नीचे की ओर रौद्र रूप से बहने लगा। अब भले ही इस तबाही की मूल वजह हिमखंड टूटना, ग्लेशियर झील का फटना, जमीन का खिसकना बताया जा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि

हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक दुर्घटनाओं के लिये हिमालयी पहाड़ बेहद खतरनाक बनते जा रहे हैं। दरअसल, हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसके चलते खतरनाक ग्लेशियर झीलें बन रही हैं। जिनमें से कई को भविष्य के लिये खतरनाक माना जा रहा है। इस आसन्न संकट में ग्लोबल वार्मिंग की भी बड़ी भूमिका है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि बढ़ता तापमान ग्लेशियरों की पीछे हटने की रफ्तार को बढ़ा रहा है। हाल के वर्षों में बर्फबारी और बारिश के पैटर्न में तेजी से बदलाव भी आ रहा है। जो पहाड़ी ढलानों को अस्थिर बना रहा है।

बहुत संभव है कि जलवायु परिवर्तन भले ही हिमालय में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का एकमात्र कारण न हो, लेकिन यह परिवर्तन ऐसी स्थितियां जरूर पैदा कर रहा है, जहां प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति बढ़ जाए और वे ज्यादा विनाशकारी साबित हों। यही वजह है कि नेपाल में अचानक आई इस बाढ़ को एक बड़े और तेजी से गंभीर होते क्षेत्रीय बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए। आज आपदा के बाद राहत व पुनर्वास को प्राथमिकता बनाने के अलावा समय पूर्व चेतावनी देने वाले सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। निश्चित रूप से समय रहते आपदा आने की चेतावनी देने वाले सिस्टम से हजारों जिंदगियां बचायी जा सकती हैं। ऐसी आपदाओं में हम संरचनात्मक ढांचे को तो तबाह होने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जीवन व मृत्यु के अंतर को तो कम कर ही सकते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि नदियां भौगोलिक व राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानती हैं, अतः क्षेत्र के देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने के प्रयास तेज करने होंगे। इस त्रासदी के बाद कहा गया कि चीन यदि समय रहते आपदा की सूचना दे देता तो सैकड़ों लोगों की जान बचायी जा सकती थी। बहरहाल, चीन व नेपाल को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि भूस्खलन, ग्लेशियर झीलों, हिमस्खलन और हिमालयी क्षेत्र की नदियों के किसी भी असामान्य व्यवहार को तुरंत दोनों देशों में साझा किया जाए। यह कोशिश उन तमाम देशों के बीच शुरू होनी चाहिए, जिनकी सीमाओं से ये नदियां गुजरती हैं। भारत भी वर्ष 2013 में केदारनाथ की भयानक त्रासदी झेल चुका है। अब भविष्य में ऐसी आपदाओं को टालने के लिये किसी तरह की उदासीनता नहीं बरती जा सकती है। आज हम तकनीक, जलवायु अनुकूल निर्माण कार्यों और स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देकर आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया को और बेहतर बना सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे सजग प्रयासों से हम तबाही का दायरा कम कर सकते हैं। जिससे जन-धन की हानि कम करने के प्रयासों को गति दी जा सकती है। हमें जापान आदि विकसित देशों से प्राकृतिक आपदाओं का बेहतर ढंग से मुकाबला करने का हुनर सीखना चाहिए।

साहित्यकार डॉ. सुधाकर मिश्र, मुरलीधर पांडेय को अमृत जीवन सम्मान

मुंबई। दहिसर (पूर्व) 'भारतीय सदविचार मंच' द्वारा 'अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस' (21 अगस्त) की संध्या को डॉ. आर.ए. तिवारी फाऊंडेशन पंजीकृत संस्था द्वारा कार्यक्रम की शुरुवात चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुवात की। तत्पश्चात अभय मिश्र ने प्रस्तवाना प्रस्तुत की। भाईंदर निवासी हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार डॉ. सुधाकर मिश्र व पंडित मुरलीधर पांडेय समेत कुल पांच विभूतियों को 'अमृत जीवन सम्मान-2026' प्रदान किया गया।

ज्ञात हो कि, यह सम्मान जीवन के 75 वसंत पार कर चुके समाज के सम्मानित व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, सीए, अधिकारी-वर्ग, शिक्षकविद, कवि, लेखक, साहित्यकार आदि विशेष क्षेत्र से जुड़े महानुभावों का सार्वजनिक सम्मान किया गया। हिंदी के विशुद्ध साहित्यकार 77 वर्षिय पंडित मुरलीधर पांडेय समेत एलफिंस्टन कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष , देश के विशुद्ध हिंदी के साहित्यिक कवि डॉ. सुधाकर मिश्र, सीए दाताप्रसाद (डीपी) त्रिपाठी, पॉलिटिक्कल एक्टिविस्ट लालताप्रसाद विश्वकर्मा, 'अमर ज्योति विद्या मंदिर' के संस्थापक अध्यक्ष वैद्य बी.बी.चौबे अतिविशिष्ट विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तित्वों का शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ, स्मृति-चिन्ह, सम्मान-पत्र देकर सम्मानित किया गया। उक्त संस्था के सलाहकार परिषद में प्रमुख रूप से डॉ. हृदयनारायण मिश्रा, अभय मिश्रा, आरटीआई स्पेशलिस्ट अनिल गलगली, श्रीकांत पांडेय, इन्द्रमणि दुबे हैं । कार्यक्रम का आयोजन शिवश्याम ए. तिवारी, डॉ. संदीप ए. तिवारी, मानवेंद्र एस. तिवारी, अनुराग एस. त्रिपाठी आदि ट्रस्टियों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. शिवश्याम तिवारी एवं संचालन ' समन्वय संकल्प ' साहित्यिक संस्था के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडेय ने किया। इस मौके पर दिनेशचंद्र उपाध्याय, प्रोफेसर डॉ. उमेशचंद्र शुक्ल, युवा कवि किरण बी.बी.चौबे, कांदिवली के डॉ. किशोर सिंह, भाईंदर के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष पांडेय आदि सम्मानित व्यक्ति विशेष रूप से उपस्थित थे।

बिजली चोरी के दो मामला दर्ज , काशीगांव और भायंदर पुलिस थाने में

अदानी इलेक्ट्रिक मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) ने बिजली चोरी के आरोप में दो लोगों के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत काशीगांव और भायंदर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। पहले मामले में एईएमएल से जुड़े सतर्कता विभाग के वरिष्ठ व्यवस्थापक मिहिर आफले और उनकी टीम ने स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में काशीमीरा स्थित आतिक आर्वेड नामक इमारत के 9 फ्लैटों में अवैध रूप से चोरी की बिजली का उपयोग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। बिल का भुगतान न करने के कारण ऑटोमैटिक डिसकनेक्ट मीटर की तारों से डायरेक्ट बिजली की सप्लाइ की जा रही थी। पिछले 10 महीनों में 15,673 यूनिट बिजली चोरी (अंदाजित बिल 4.42 लाख रुपये) करने के आरोप में मंजूर मालवी नामक व्यक्ति के खिलाफ काशीगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया है। दूसरा मामला भायंदर पश्चिम स्थित न्यू सरोज इमारत का है, जहां उपभोक्ता जयंती पताड़िया ने कथित रूप से फेज और न्यूट्रल वायर का उपयोग करके मीटर को बाईपास कर अवैध तरीके से 15,673 यूनिट बिजली चोरी (अंदाजित बिल 2.50 लाख रुपए) को अंजाम दिया। भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 के तहत बिजली चोरी एक गंभीर गैर-जमानती अपराध है। इस धारा के तहत दोष सिद्ध होने पर मामले की गंभीरता के अनुसार कारावास और भारी जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

मीरा-भाईंदर में 2 नए कोर्ट को मंजूरी

भाईंदरः शहर में लंबे समय से चली आ रही न्यायालयों की मांग अब पूरी होने की दिशा में बढ़ गई है. मीरा-भाईंदर में एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय तथा एक वरिष्ठ सिविल न्यायालय शुरू करने को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को इसकी पुष्टि की. नए न्यायालय शुरू होने से नागरिकों को उच्च स्तरीय दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए ठाणे के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. मीरा-भयंदर में पुलिस थाने, यातायात पुलिस, तलाठी, तहसील और उप-पंजीयक सहित कई सरकारी कार्यालय हैं. इन कार्यालयों से संबंधित मामलों, दावों और दर्ज अपराधों की सुनवाई के लिए ठाणे जाना नागरिकों के लिए लंबे समय से परेशानी का कारण बना हुआ था. वहीं, ठाणे जिला न्यायालय पर बढ़ते मामलों के बोझ के कारण सुनवाई और निपटारे में भी देरी हो रही थी.

12 साल के इंतजार के बाद शुरू हुआ था जूनियर कोर्ट

शहर में अलग-अलग स्तर की दीवानी और आपराधिक अदालतों की मांग लंबे समय से की जा रही थी. 19 मार्च 2013 को राज्य सरकार ने मीरा रोड पूर्व में बस स्टॉप क्रमांक 15 के पास घोडबंदर गाँव के सर्वे क्रमांक 233 के भूखंड पर (4353.57 वर्ग मीटर क्षेत्रफल) स्वतंत्र न्यायालय की इमारत बनाने की मंजूरी दी थी. करीब 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद 8 मार्च 2025 को राज्य के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति अभय ओक के हाथों न्यायालय का उद्घाटन संपन्न हुआ था और कनिष्ठ सिविल न्यायालय का कामकाज शुरू हुआ था. अब उच्च स्तर के मामलों के लिए भी स्थानीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है.

मौजूदा भवन में ही शुरू हो सकता है कामकाज

मीरा-भाईंदर बार एसोसिएशन ने इस मांग को लेकर ठाणे न्यायालय से संपर्क किया था. शहर में लंबित मामलों की संख्या और नागरिकों की परेशानी को देखते हुए उच्च न्यायालय की 'नई न्यायालय स्थापना समिति' ने कनिष्ठ सिविल न्यायालय परिसर में ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय और वरिष्ठ सिविल न्यायालय स्थापित करने को सैद्धांतिक अनुमति दी है. न्यायालय भवन और न्यायाधीशों के आवासीय क्वार्टर की शर्तों में विशेष छूट देते हुए यह मंजूरी दी गई है. मीरा-भाईंदर एडवोकेट्स एसोसिएशन के सचिव प्रवीण पाटिल के अनुसार, वर्तमान न्यायालय भवन में पर्याप्त जगह उपलब्ध है.

गायों और बछड़ों की अवैध तस्करी मामले में २ गिरफ्तार

मीरारोड : काशीगांव पुलिस ने पशु क्रूरता और अवैध परिवहन के आरोप में टेंपो के मालिक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 54 वर्षीय रंगनाथ गोधाजी निमसे और 31 साल के अभिजीत संजय साठे के रूप में हुई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने रविवार रात करीब 11:23 बजे काशीमीरा स्थित नीलकमल नाका के पास एक संदिग्ध महिंद्रा पिक-अप टेंपो को रोका। वैध दस्तावेज न होने पर पुलिस ने वाहन को जब्त कर मवेशियों को मुक्त कराया। आरोपी टेंपो में 3 गायों और 2 बछड़ों (सब जीवित) को बेहद अमानवीय तरीके से ठूंस कर ले जा रहे थे। पूछताछ के दौरान टेंपो के मालिक और मवेशियों के व्यापारी रंगनाथ गोधाजी निमसे ने बताया कि वो इन गायों और बछड़ों को अहिल्यानगर से खरीद के लाया था। पुलिस को संदेह होता है कि गायों को कत्ल (स्लॉटर) करने के इरादे से ले जाया जा रहा था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, पशु परिवहन नियम और भारतीय मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।

...गुजराती में हुआ मंच संचालन

पृष्ठ 1 का शेष..

भाषा को लेकर आपत्ति के बाद कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया था। स्थिति को देखते हुए महिला एंकर ने हस्तक्षेप कर कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वहीं, कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो केवल गुजराती भाषा पर ही आपत्ति क्यों जताई जा रही है। हालांकि मनसे पदाधिकारियों का कहना था कि महाराष्ट्र में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में मराठी भाषा को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

मीरा-भाईंदर में कचरा घोटाला...

पृष्ठ 1 का शेष..

राशि लगभग 39 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2023 तक बढ़कर करीब 90 करोड़ रुपय हो गई। उनका आरोप है कि वर्ष 2023 की नई निविदा में यह राशि बढ़ाकर करीब 150 करोड़ रुपम सालाना कर दी गई।

खास बात यह है कि पहले ठेका कंपनी को ही वाहन उपलब्ध कराने होते थे, जबकि नए ठेके में वाहन मनपा द्वारा खरीदकर उपलब्ध कराए गए हैं।

मीरा-भाईंदर मनपा में सदन नेता एड. रवि व्यास का कहना है कि मुद्दा केवल ठेकेदार का नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल और उसकी निगरानी की पूरी व्यवस्था का है। यदि अनुबंध में अनिवार्य सत्यापन प्रणाली चालू नहीं थी, तो फिर करोड़ों रुपये के भुगतान किस दस्तावेज और किस तकनीकी प्रमाण के आधार पर किए गए, इसकी निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। दोषी ठेकेदार या अधिकारी कोई भी हो, उसकी जवाबदेही तय कर सार्वजनिक धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।

व्यास ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 के ठेके में सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के तहत प्रतिदिन 1,033 रुपये के बजाय 1,399 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। उनके अनुसार करीब 1,800 सफाई कर्मचारियों के हिसाब से प्रति कर्मचारी, 366 रुपये अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है, जिससे पांच वर्षों में ठेकेदारों को करीब 120.23 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान होने का अनुमान है।

इसी तरह, उनके अनुसार पहले के ठेके में करीब 3 टन क्षमता वाले कचरा वाहन के लिए प्रतिदिन 7,826 रुपये का भुगतान किया जाता था, जबकि नए ठेके में इसी श्रेणी के वाहन के लिए करीब 13,200 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जा रहा है। इस बारे में व्यास का दावा है कि इससे पांच वर्षों में करीब 181.44 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय देनदारी बनती है।

सत्ताधारी भाजपा के दबाव में बुलडोजर चलाकर बेघर करने का षड्यंत्र चल रहा है

भायंदर । मीरा-भायंदर आजादी से पहले से रह रहे भूमिपुत्र, आदिवासी और मराठी परिवारों के घरों पर मीरा-भायंदर महानगरपालिका प्रशासन द्वारा सत्ताधारी

भाजपा के दबाव में बुलडोजर चलाकर बेघर करने का षड्यंत्र चल रहा है। ताजा मामले में भायंदर के पास स्थित मुर्धा गांव में एक भूस्वामी के घर पर मनपा द्वारा १०० से ज्यादा पुलिसकर्मियों के बंदोबस्त के बीच अमानवीय तरीके से और कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए जमींदोज कर दिया गया। घर में १४ साल की बीमार बच्ची होने के बावजूद पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन ले जाना और विरोध प्रदर्शन करने वाले नागरिकों के खिलाफ मामले दर्ज करके मनपा ने दमन की सारी हदें पार करने के आरोप लग रहे है।

गौरतलब है कि हाल ही में जमींदोज किए गए मकान से कुछ ही मीटर दूर स्थित एक बहुमंजिला होटल के अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा नगरसेवक जयेश भोईर ने नारों से छपी 'फ्लेक्स' जैकेट पहनकर मनपा की जनरल बॉडी मीटिंग में पहुंचे और आकर्षण का केंद्र बनते हुए सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। हालांकि इस निर्माण कार्य पर मनपा द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई और होटल मालिक को कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त करने का मौका दे दिया। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते मनपा प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम को बेहद भेदभावपूर्ण बताते हुए शिंदे गुट के मंत्री प्रताप सरनाईक ने आरोप लगाया कि भूमिपुत्रों पर दबाव बनाकर उनकी पुश्तैनी जमीन हथियाने के उद्देश्य से इस तोड़क कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जैसे-जैसे शहर का दायरा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे आसपास के गांवों की जमीनों की मांग तेजी से बढ़ी है और उनके भाव आसमान छूने लगे हैं। टाउनशिप और अन्य प्रोजेक्ट्स विकसित करने के लिए कई बड़े डेवलपर्स स्थानीय राजनेताओं के आशीर्वाद और समर्थन के दम पर भूमिपुत्रों और आदिवासी समुदाय से कम दामों में बड़े लैंड बैंक हासिल करने में जुटे हैं। मालिक माना तो ठीक, नहीं तो कार्रवाई का दबाव बनाकर जमीन बेचने को मजबूर किया जाता है। मनपा पर सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा ने अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का दावा किया, लेकिन शहर में भारी संख्या में अनधिकृत निर्माण और तोड़क कार्रवाई में कथित भेदभाव ने इस नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

और मिक्सर वाहन ने छीन लिया सौरभ का बचपन

भाईंदरः मीरा भाईंदर शहर के पेणकर पाड़ा सिग्नल के पास हुए सड़क हादसे में 14 वर्षीय मासूम की हुई दर्दनाक मौत। और एक बार फिर मिक्सर वाहन के लापरवाह चालक ने छिन ली एक और जिन्दगी। मुंबई की ओर से काशीमीरा की तरफ जा रहे भारी मिक्सर वाहन के लापरवाह चालक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिसके कारण बाईक पर पीछे बैठा बच्चा सैरभअचानक नीचे गिर गया और सेमेंट मिक्सर ने उसे कुचल दिया। बाईक सवार पिता ने बताया कि सीमेंट मिक्सर ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ा और बच्चा गिर गया था। हादसा किस कारण से हुआ - सीमेंट मिक्सर की टक्कर से या सड़क पर मौजूद गड्ढों की वजह से यह जानने के लिए काशीमिरा पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने के बाद पाया कि डम्पर चालक की टक्कर से ही बाईक का संतुलन बिगड़ा और बच्चा गिर गया था। वरिष्ठ पुलिस निरिक्षक राजेंद्र कांबले ने बताया कि वाहन गिरफ्तार वाहन चालक सुनील राजभर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गड्ढों के मुद्दे पर यातायात विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रफुल्ल वाघ ने बताया कि चूंकि यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधीन आती है। इसलिए हमने पहले ही एनएचआई को बीएनएस की धारा 168 के तहत नोटिस जारी कर गड्ढे भरने तथा सड़कों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया है। अगर जांच में किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाती है तो एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुर्घटना रोकने के लिए वहां एक अधिकारी और सात पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, मुंबई लेन में दो पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी पर रहते हैं और वार्डन भी लगाए गए हैं। प्रफुल्ल वाघ ने आगे बताया कि पुलिस समय-समय पर आम जनता से अनुरोध करती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और लेन न क्रॉस करें, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने नागरिकों से सड़क पर चौकसी बरतने तथा कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर सवार करते समय सावधानी बरतने की भी अपील की।

सवाल ये है - गड्ढे सड़क पर हैं या सिस्टम में?

मीरा-भाईंदर में सड़कों की जिम्मेदारी सर्वजनिक निर्माण विभाग और एमएमआरडीए और हाईवे की जिम्मेदारी एनएचएआई की है। तीनों विभागों की ओर से हर साल करोड़ों के टेंडर निकलते हैं, बावजूद इसके हर बारिश में वही गड्ढे मुंह बाए भ्रष्टाचार की गवाही देते हैं। प्रमुख राजनीतिक दल हर साल आंदोलन करते हैं, फिर सब शांत। नतीजा हर साल भयानक हादसों में मासूमों की बलि चढ़ती है। इसलिए सड़कों में नहीं, सिस्टम में गड्ढे हैं।

पूर्व नगर सेवक रोहित सुवर्णा ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि सड़क पर हर बार मिक्सर डंपरों ने ही जिंदगी छिनी है, दिन में शहर के बीचों-बीच इन मिक्सर डंपरों को सरपट दौड़ने की इजाजत देने वाले सम्बंधित विभाग भी जिम्मेदार है।

मनपा में सेवा नियमों का प्रस्ताव दोबारा खारिज प्रमोशन का इंतजार बढ़ा, कर्मचारियों में भारी आक्रोश

मीरा-भायंदर : मीरा-भायंदर महानगरपालिका के सैकड़ों कर्मचारियों के करियर को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। प्रशासन की ओर से सेवा प्रवेश नियमों में संशोधन के लिए लाया गया महत्वपूर्ण प्रस्ताव महासभा में पूरी तरह ठंडे बस्ते में चला गया है। सदन में सत्तारूढ़ दल भाजपा ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद से ही मनपा के प्रशासनिक गलियारों में कर्मचारियों का गुस्सा और असंतोष खुलकर सामने आने लगा है।

सालों से एक ही पद पर अटके हैं कर्मचारी

इस फैसले ने उन कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो पिछले कई सालों से एक ही टेबल पर काम कर रहे हैं। महानगर पालिका के भीतर लिपिकीय और तृतीय श्रेणी के पदों पर बैठे कर्मचारी लंबे समय से अपनी पदोन्नति की राह देख रहे हैं। नियमानुसार आवश्यक सेवा अवधि पूरी करने के बावजूद उन्हें वरिष्ठ पदों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विडंबना यह है कि विभाग के कई कर्मचारी तो प्रमोशन का इंतजार करते-करते ही रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके सेवाकाल में उन्हें जायज हक नहीं मिल सका।

पक्षपात के आरोपों के चलते रुका प्रस्ताव

ऐसा नहीं है कि यह प्रस्ताव पहली बार आया था। प्रशासन ने इससे पहले जुलाई में भी इसे सदन के पटल पर रखा था, लेकिन तब पदोन्नति प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं की शिकायत कर इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांग ली गई थी। उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटिल ने इस बार प्रस्ताव खारिज होने की मुख्य वजह बताते हुए कहा कि कुछ पार्षदों और कर्मचारियों की तरफ से शिकायतें मिली थीं कि इस नए बदलाव से कुछ विशेष लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रस्ताव को दोबारा नामंजूर कर दिया गया।

व्यापक बदलाव के बाद फिर होगा पेश

बार-बार प्रस्ताव लटकने से पैदा हुए भारी असंतोष को देखते हुए अब प्रशासन इस पर फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। उपमहापौर के अनुसार, अब इस पूरे मसौदे का गहन अध्ययन किया जाएगा। इसमें सभी जरूरी कानूनी सुधार और व्यापक प्रावधान जोड़े जाएंगे ताकि किसी भी स्तर पर पक्षपात न हो सके। इन सुधारों के बाद इस प्रस्ताव को एक बार फिर मंजूरी के लिए महासभा के सामने लाया जाएगा, हालांकि तब तक कर्मचारियों को अपनी तरक्की के लिए और लंबा इंतजार करना होगा। कर्मचारियों इंतजार कितना लंबा होगा ये अभी कहना जरा मुश्किल है।

SIR में 4.64 लाख मतदाता लापता !

मीरा- भाईंदर व ओवाला-माजीवड़ा में करीब 43% मतदाता जांच में नहीं मिले 31 अगस्त को मसौदा सूची, 4 नवंबर को अंतिम सूची

भाईंदर : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में मीरा- ए और ओवाला-माजीवड़ा विधानसभा क्षेत्रों से कुल 4 लाख 64 हजार 172 मतदाता जांच के दौरान नहीं मिले हैं. दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 10 लाख 82 हजार 922 मतदाताओं में से करीब 43 प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन में सामने नहीं आने से मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठने लगे हैं. 145 मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र में कुल 5 लाख 14 हजार 950 मतदाताओं में से 2 लाख 13 हजार 187 (41.40 प्रतिशत) मतदाता और 146 ओवाला-माजीवड़ा विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख 67 हजार 972 मतदाताओं में से 2 लाख 50 हजार 985 (करीब 44 प्रतिशत) मतदाता सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाए गए. मृतक, दोहरे और दूसरे राज्यों के मतदाताओं के नाम भी सामने आए एसआईआर के दौरान कई मतदाताओं के नाम एक से अधिक बार दर्ज होने, कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो जाने तथा कुछ के अन्य राज्यों में रहने की जानकारी सामने आई. इसके अलावा अनिवासी मतदाताओं के नाम भी उनके पुराने पते पर दर्ज पाए गए. ऐसे सभी मामलों में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने पंचनामा तैयार किया है.

सरकारी कर्मचारी महीनों तक एसआईआर ड्यूटी में रहे

145 और 146 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के एसआईआर के लिए मनपा सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों के शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों को पूर्णकालिक रूप से नियुक्त किया गया था. कर्मचारियों के मूल कार्यालयों से हटकर एसआईआर कार्य में लगाए जाने से संबंधित विभागों का नियमित कामकाज भी प्रभावित हुआ. हालांकि, राज्य चुनाव आयोग, मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी के निर्देशों के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों ने एसआईआर प्रक्रिया पूरी की.

सत्यापन पर सवाल, आगामी चुनावों में कम हो सकता है जीत का अंतर

मीरा- भाईंदर मनपा क्षेत्र में 145 मीरा भाईंदर पूर्व और 146 ओवाला-माजीवड़ा विधानसभा क्षेत्र का आधा हिस्सा शामिल हैं.

अब एसआईआर के बाद सामने आए इन आंकड़ों ने मतदाता सूची के सत्यापन और पूर्व में हुए पंजीकरण की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के सत्यापन में नहीं मिलने से आगामी चुनावों में मतदाता संख्या और चुनावी समीकरण प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है.

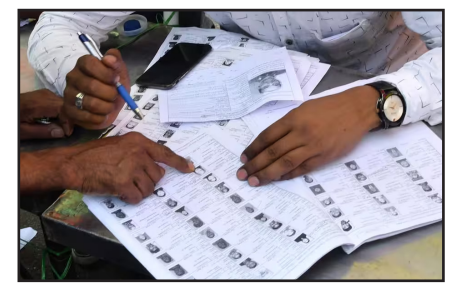

यदि अंतिम मतदाता सूची में भी बड़ी संख्या में नाम बाहर रहते हैं, तो कई विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के जीत के अंतर पर सीधा असर पड़ सकता है.

31 अगस्त को मसौदा सूची, 30 सितंबर तक आपत्ति

चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार 31 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी. सूची से बाहर किए गए मतदाता 31 अगस्त से 30 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे.

प्राप्त आपत्तियों पर 31 अगस्त से 29 अक्टूबर के बीच सुनवाई कर उनका निपटारा किया जाएगा.

इसके बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

यह हिंदी पाक्षिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक संजय डी. राय द्वारा ओम साई प्रिंटर्स, न्यू जय अम्बे एस्टेट, यूनिट नं. 7, ओल्ड सिंडिकेट बैंक के सामने, एचपी गैस गोडाऊन के पीछे, गोडदेव फाटक रोड, भाईदर (पूर्व) - 401 105 से मुद्रित कर 116 डी विंग, तुलसी छाया बिल्डिंग, नवघर क्रॉस तलाव रोड, भाईदर (पूर्व), जिला ठाणे 401 105 (महाराष्ट्र) यहां से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधिन होगा। संपादक : संजय डी. राय, मोबाइल- 9967935711 / email: bhayandersun@gmail.com